Volume: 1 Issue: 16 Pages: 21-23

International Journal of Research in Academic World

E-ISSN: 2583-1615
Impact Factor: 4.714

Received: 04/November/2022 Int. J Res. Acad. World. 2022; 1(16):21-23 Accepted: 08/December/2022

समतामूलक और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा की ओर एक नयी पहल

*[1]डा0 सुधाकर राय

*[1]प्राचार्य/प्राध्यापकगनौरी रामकली टीचर्स ट्रेनिगं कॉलेज नवादा, बिहार, भारत।

सारांश

आज शिक्षा में समानता, सहभागिता, स्वतंत्रता, विकास, जागरूकता, सापेक्षता एवं अधिकारों के अनुप्रयोग की दक्षताओं की चर्चाएँ जोरों पर है। वही दूसरी ओर हम राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता को परिलक्षित करने वाले ''मानव–विकास सूचकांक'' के लिहाज से बहुत पिछड़े हुए है। भारत में आज भी विकलांगता, आर्थिक–विभेद, जातीय–अत्याचार, जन–जातीय और अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण, लिंग–भेद, हाशियाकरण एवं सामाजिक बहिष्कार जैसे भेदभावों एवं उपेक्षाओं का पर्यावरण अपने पुष्ट स्वरूप में विद्यमान है। चूँकि शिक्षा वांछित–विकास का सबसे सबल अभिकरण एवं एजेंट है, इस निर्मित शिक्षा व शिक्षा व्यवस्थाओं का प्राथमिक दायित्व यह है कि वे अपनी कतार में खड़े आखिरी व्यक्तियों का अधिकाधिक कल्याण करें। वर्तमान में शारीरिक क्षमता, अर्थ, वर्ग, लिंग, भाषा एवं संस्कृति व विरासत आदि कारकों के चलते पिछड़ेपन को वरण किये विशिष्ट बालक (भारत के संदर्भ में) शिक्षा की कतार के आखिरी प्रतिनिधि हैं। इन सब शैक्षिक वंचितों की दृष्टि से शिक्षा के हल्कों में: ''पूर्ण–समावेशन की निति'', वर्त्तमान की सबसे कारगर व सर्वसुलभ दवा है।

मूल शब्दः समतामूलक. समावेशी शिक्षा. शैक्षिक वातावरण.

प्रस्तावना

भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली काम करती है। इसमें प्राथमिक शिक्षा व उसकी सफलता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राष्ट्र के अनेक अभियान ,योजनाएँ, व नीतिगत प्रयासों के साथ–साथ देश के 20 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चे जुड़े हुए हैं। इन 20 करोड़ स्कूली बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है और इन बच्चों की संख्या के 10 फीसदी को नियमित शिक्षा हासिल नहीं हो पाती। जनगणना के नये आँकड़ों से पता चलता है कि साल 2001 में निःशक्तजनों की तादाद देश की कुल आबादी में 2.13 फीसदी थी, जो साल 2011 में बढ़कर 2.21 फीसदी हो गई।

(एन.एस.एस.ओ.–2002 और 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार) एक ओर जहाँ स्कूलों में बच्चों के दाखिले का राष्ट्रीय औसत 90 फीसदी है, वहीं 5 फीसदी से भी कम निःशक्त बच्चों का स्कूलों में दाखिला होता है, कमोवेश यही स्थिति हाशियाकरण के शिकार बच्चों की है। इस प्रकार के बच्चों में से 40 फीसदी बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तीन से पाँच साल भी पूरे नहीं कर पाते। प्राथमिक शिक्षा के अधिकारोक्त होने के बाद भी आज स्थिति यह है कि सर्व शिक्षा अभियान में केवल देश भर के 12 लाख विद्यालयों में से 60 फीसदी विद्यालयों में वाधा मुक्त शिक्षा का प्रावधान है। इन आंकड़ों के प्रकटीकरण का यह आशय कदापि नहीं है कि स्वातंत्रोतर भारतीय शिक्षा की यात्रा में प्राथमिक शिक्षा का कोई ठोस विकास नहीं हुआ। भारत शिक्षित जनशक्ति के लिहाज से अमेरिका, यूरोपीय जनसंघ और चीन के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है, परन्तु समानता एवं मात्रात्मक विस्तार व गुणवत्ता स्थापना के लक्ष्यों के साथ–साथ आज की हमारी प्राथमिक शिक्षा में समायोजन के लिए दबाव और उत्कृष्टता के लिए तड़प का होना अब भी वांछित है।

1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में नवीन विचारों तथा धारणाओं ने बाधित बालकों की शिक्षा के लिए नई दिशाओं में द्वार खोल दिए और ये समझा जाने लगा कि दिव्यांग बालक सामान्य बालकों से अलग नहीं हैं पर इतना अवश्य है कि उनकी विशेषताएँ विशिष्ट हैं जो पूर्ण रूप से बाधित नहीं है; उन्हें समाज के अन्य सदस्यों की तरह शिक्षा प्राप्त करने; समाज में भागीदारी तथा अन्य कार्यों में सहयोग का समान अधिकार होना चाहिए जिनका बाधित स्तर कम है अथवा अस्थिबाधित है ऐसे बालकों को सामान्य शिक्षण संस्थानों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अतिरिक्त सहायता देकर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

19वीं शताब्दी में अमेरिका तथा यूरोप में प्रारंभ हुए विशिष्ट शिक्षा के लिए क्रमबद्ध प्रयास प्रारंभ हुए। विशिष्ट शिक्षा के जन्मदाता अधिकांशतः यूरोप के चिकित्सक थे। इनमें से कुछ प्रसिद्ध विशेषज्ञों के प्रयासों जैसेः–अपंग बालकों के लिए शिक्षा प्रारम्भ करने में इटार्ड का योगदान, मानसिक मन्दितों के लिए सेंग्विन का योगदान, अंधे बालकों की शिक्षा के हेतु लुईस ब्रेल का महान योगदान, दृष्टिबाधित एवं बधिरों के लिए होने का योगदान, एन.सुलिवन का योगदान एवं गैलोडेट का योगदान इत्यादि।

2 भारत में विशिष्ट शिक्षा

रामायण तथा महाभारत काल के दौरान इस बात की पुष्टि होती है कि उस समय आश्रमों में ऋषियों के सानिध्य में व्यवस्थित शिक्षा देने का प्रबन्ध था लेकिन इस बात का उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि निःशक्त छात्रों के लिए भी शिक्षा का कोई प्रबन्ध था या नहीं। केवल एक उदाहरण मिलता है ऋषि अष्टावक्र का। भारत में औपचारिकता से बाधित बालकों की औपचारिक रूप से शिक्षा का प्रारम्भ 1869 में जैन ल्यूपॉट द्वारा माना जाता है। 1968 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ भारतीय महानगरों का सर्वेक्षण किया तथा स्पष्ट किया कि यहाँ 37 फीसदी बालक मानसिक रूप से विकलांग

*Corresponding Author: डा0 सुधाकर राय

हैं। 1965 में मन्द–बुद्धि बालकों के विकास के लिए चण्डीगढ़ में 'अखिल भारतीय मानसिक विकास समिति' का गठन एवं भारतीय डाक विभाग द्वारा 8 दिसम्बर, 1974 को एक डाक टिकट जारी किया जिसने सबका ध्यान विशिष्ट बालकों की ओर आकर्षित किया और तभी से हम 8 दिसम्बर को 'मानसिक विकलांग दिवस' के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा कोठारी आयोग (1964–66) ने विशिष्ट बालकों को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा देने पर बल दिया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 1992 द्वारा ऐसे बाधित बालक जिनकी शिक्षा सामान्य स्कूलों में सम्भव है, इन्हें सामान्य स्कूलों में ही शिक्षा देने का प्रावधान भी अति सराहनीय कार्य था। इसी संदर्भ में ''सलमानका सम्मेलन 1994'' मील का पत्थर साबित हुआ। इस सम्मेलन से प्रेरित होकर भारत में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) के लिए PWD-Act 1995 बनाया गया। भारत में समावेशित शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2000 महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसी वर्ष NCERT ने ''विद्यालय शिक्षा के लिए नेशनल करीक्युलम फ्रेमवर्क–2000 (NCF–2000) में समावेशित विद्यालय को मंजूरी दी गयी। सर्वशिक्षा अभियान 2002 से भी समावेशी शिक्षा और सभी को शिक्षा के समान अधिकार उपलब्ध कराने की अवधारणा को बल मिला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 के अन्तर्गत् समावेशन नीति को वर्त्तमान समय की महती आवश्यकता बताया गया। वर्त्तमान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2019 में समतामूलक और समावेशी शिक्षा को मुख्य उद्देश्य माना गया है।

समावेशन

आजकल हर जगह समावेशित शिक्षा की चर्चा होती है अतः यह जानने कि जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि समावेशी शिक्षा के मायने क्या हैं और आखिर क्यों समावेशित शिक्षा आवश्यक है?
समावेशित शिक्षा के मायने क्या हैं ?

समावेशन का शाब्दिक अर्थ हैः सम्मिलित करना, एक अंग मानना, सदस्य या साथ देना, इस प्रकार समावेशन का अर्थ सदस्यता से है, जिसका संबंध समुदाय से है, जो शांति, स्वतंत्रता और समानता के साथ स्वेच्छा से निष्पक्ष और समान शर्तों पर एक साथ, एक समूह में रहता है। 'शिक्षा के संदर्भ में समावेशन' का अर्थ विद्यालय की एक ऐसी पुनर्संरचना से है, जिसमें विद्यालय सभी समुदायों का एक केंद्र हो और सभी प्रकार के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस प्रकार 'समावेशित शिक्षा' का मतलब है–राष्ट्र की नियमित शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को समाविष्ट किया जाए।

समावेशित शिक्षा क्यों ?

अगर हम इस प्रश्न का उत्तर सोचें तो यही कहेगें कि आज के बदलते परिवेश में कुछ लोगों को ज्यादा महत्व देना तथा कुछ लोगों को बिल्कुल अलग रखना अनैतिक कार्य नहीं है। अर्थात् कुछ बच्चों को घर के पास ही अच्छे स्कूल में भेजना तथा कुछ बच्चे जिनकी आवश्यकतायें थोड़ी भिन्न है उनको दूर किसी विशेष विद्यालय में शिक्षित करने को भेजना एक अनैतिक कार्य है तथा इसके अलावा समावेशी शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी बालक चाहे वे कैसी भी आवश्यकता वाले हो एक ही समाज में रहना है। अतः प्रारम्भ से ही एक साथ रहने में सरलता होगी। तथा सामान्य विद्यालय सभी जगह जबकि विशिष्ट विद्यालय दूर शहरों में होते हैं जबकि अधिकांश विकलांग (दिव्यांग) बच्चे गाँवों में है ऐसी स्थिति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर तक सफर करना पड़ता है जो कि उस बच्चे के मूल अधिकार का हनन है। सभी राष्ट्र अपने राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रभावी प्रयास करता है जिससे राष्ट्र की उन्नति सम्भव हो सके और प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें।

3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएँ इस प्रकार हैं:

1. समावेशी शिक्षा का महत्व सबको समाविष्ट करने से है।
2. विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करना चाहिए।
3. विकलांगता एक समाज निर्मित है–इसे तोड़ें।
4. बच्चे असफल नहीं होते, वे विद्यालय की असफलता दर्शाते है।
5. समावेशन केवल विकलांग तक ही सीमित नही है अपितु इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना भी है। इत्यादि

4 यूनेस्को के सलमानका (स्पेन) विश्व सम्मेलन द्वारा कार्य प्रारूप

1. समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्क दृष्टिकोण का विकास।
2. समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को समझना।
3. समावेशी शिक्षा के ज्ञान का विकास।
4. समावेशी शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता का विकास।
5. समावेशी शिक्षा के प्रति भावनात्मक सम्बन्ध का विकास।
6. वर्तमान सन्दर्भ में समावेशी की स्थिति को समझना।

5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2019:– समतामूलक और समावेशी शिक्षा के लिए एक नयी पहलः

1. शिक्षा में अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के उत्थान हेतु प्रयास।
2. कॉस कटिंग थीम के रूप में लड़कियों की शिक्षा।
3. अनुसूचित जाति समुदायों और अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बद्ध बच्चों की शिक्षा।
4. आदिवासी समुदाय के बच्चों की शिक्षा।
5. अल्पसंख्यक समुदायों के अल्प–प्रतिनिधत्व वाले समूहों के बच्चों की शिक्षा।
6. शहरी निर्धन परिवारों के बच्चों की शिक्षा।
7. शहरी निर्धन परिवारों के बच्चों की शिक्षा।
8. ट्रांसजेण्डर बच्चों की शिक्षा।
9. विशेश आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा।

अर्थात् समतामूलक और समावेशी शिक्षा का उद्देश्यः

एक समतामूलक और समावेशी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना जिससे सभी बच्चों के सीखने और सफल होने के समान अवसर उपलब्ध हो और परिणामस्वरूप वर्ष 2030 तक सभी लैंगिक और सामाजिक वर्गों की शिक्षा में भागीदारी और सीखने के प्रतिफल के स्तर पर समानता सुनिश्चित हो।'' लक्ष्य की प्राप्ति से है।

6 समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, महत्व एवं लाभः

पहले ऐसे माना जाता था कि असमर्थ बालकों को अलग से विशिष्ट शिक्षा प्रदान करनी चाहिए क्योंकि उनकी आवश्यकताएँ सामान्य बालकों से अलग होती है उनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है जो उनको उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। कई बार आलोचक इस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि विशिष्ट शिक्षा बच्चों को शिक्षा के बराबर अवसर प्रदान करने की अपेक्षा पृथकता की भावना पैदा करती है। इस शिक्षा से असमर्थ बालकों में हीन भावना पैदा होती है। समावेशी शिक्षा के महत्व निम्नलिखित कारणों से हैं:–

1. शैक्षिक वातावरण
2. कम खर्चीली
3. मानसिक विकास
4. सामाजिक मूल्यों का विकास
5. समानता का सिद्धांत
6. प्राकृतिक वातावरण

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सामान्य शिक्षा के साथ–साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल उनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबन्ध करना चाहिए तथा उनके लिए प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक का प्रबन्ध करना चाहिए।

6 समावेशी शिक्षा के लाभः

मानव–योनि में जन्म लेने के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार है। अतः विशेष बालक भी समाज का एक अभिन्न अंग होता है। उनके लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता परमावश्यक हो जाती है। समावेशी शिक्षा से संबंधित सुविधायें देकर विशेष बालकों को किस प्रकार से लाभ पहुँचाया जा सकता है, जो इस प्रकार हैः–

1. वैयक्तिक भिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा।
2. अधिकतम विकास के लिए समावेशी।
3. समायोजना समस्या को दूर करने लिये समावेशी शिक्षा।
4. समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए समावेशी शिक्षा।

निष्कर्ष

शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता हासिल करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामुलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिससे हर नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्रहित में योगदान देने के अवसर उपलब्ध हो। दुर्भाग्य से लैंगिक, सामाजिक–आर्थिक और विशेष–आवश्यकता जैसे कारकों के आधार पर होने वाले पूर्वाग्रह और पक्षपात के कारण लोगों की शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित होने की क्षमता प्रभावित होती है जिससे सामाजिक दरारे बढ़ती है। यह राष्ट्र के विकास और प्रगति को बाधित करती है। यह नीति एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को गढ़ने का लक्ष्य रखती है जिससे भारत का कोई भी बच्चा, अपने जन्म या पृष्ठभूमि सम्बन्धी परिस्थितियों के कारण सीखने और श्रेष्ठता की ओर बढ़ने के अवसर से बंचित न रह जाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार, संजीव एवं सिंह सुधाकर प्रसाद (2008) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षण पा रहे स्कूली शिक्षकों के समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन, नई दिल्ली
2. कुमार संजीव और कुमार खगेन्द्र (2007) इंक्लुसिव एजुकेशन, इन इण्डिया ई.जे.आई.ई.
3. तुली, उमा (2013), समावेशी शिक्षाः एक वास्तविकता, नई दिल्लीः योजना अप्रैल
4. काण्डपाल, केवलानंद (2012) शिक्षा में समावेशनः चुनौती एवं समाधान
5. कोहमा; ए (2012) इंक्लूसिव एजुकेशन इन इण्डियाः अ कन्ट्री इनट्रीजिशन
6. गर्ग, बी (2012) सर्व शिक्षा अभियान दिल्लीः कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन लि0
7- Dahiels, 1999) Inclusive Education, London; Kegan
8. NCF-2005
9. राष्ट्रीय शिक्षा निति–2019